

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे।

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ : दिनांक : 03 अक्टूबर, 2022

विषय :- उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश संख्या 1096 / 87-४(1) अतिरिक्त स्रोतों की/ 2022 दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 द्वारा "उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022" का प्रलयापन किया गया है। नीति की प्रति उम्मीद नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के लिंक http://upneda.org.in/MediaGallery/BIO_ENERGY_POLICY-28092022.pdf पर उपलब्ध है।

2. कृपया "उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022" में आपने विभाग से सम्बन्धित दिन्दुओं के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक: तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मुख्य सचिव, उम्मीद शासन।
- 2- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उम्मीद।
- 3- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उम्मीद शासन।
- 4- निजी सचिव, मा० मंत्री/ मा० राज्य मंत्री, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उम्मीद।
- 4- कृपि उत्पादन आयुक्त, उम्मीद शासन।
- 5- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उम्मीद शासन।
- 6- अध्यक्ष, उम्मीद पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, उम्मीद पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

- 9- प्रबन्ध निदेशक, समस्त हिस्कॉम, उत्तर प्रदेश।
- 10- रामरत जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 11- निदेशक, उम्मीद नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)
- 12- निदेशक, सूचना एवं जनराष्ट्रक विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 13- गाहू फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार चौहान)
अनु सचिव।